12/5/2025	पत्रावली पेश हुई बहस उपरान्त दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बरान 1835, 3389, 3390, 3391 किता 04 रकबा 1.78 वाके ग्राम मडीरा पर वर्तमान इन्द्राजात को कलमजद किया जाकर वादिनी को 1/4 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री जारी हो। निर्णय पृथक से लिखाया गया।
	पत्रावली जेल कुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:53:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6—7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

प्रेम बनाम विमला देवी वगै0

दावा बाबत् 53, 88—89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 93/2016

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू—ब—रू ......— व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व मिनजानिब मुद्दइ व .... डिकरी दी जाती है कि

वादपत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में आराजी खसरा नम्बर 1835, 3389, 3390, 339 किता 04 रकवा 1.78 वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई पर वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादिनी को 1/4 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बेज — मुबलिग — — —
— — — बाबत — — — — — — — — — — खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ———————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ———————— की अदा करें ।

ब दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 12.05.2025 को जारी की गई ।

दस्तखत————
उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय

प्रकरण सं. 93
किस्म दावा
जीसीएमए
निर्णय दि

1

1. प्रेम पुत्री घीसी जाति खटीक निवासी भदीरा तहसील नदबई पत्नि पूरन
निवासी मंगोलपुरी गली नम्बर 12 दिल्ली।

वादिनी

बनाम

1. विमला देवी पत्नि छगनलाल जाति खटीक निवासी 507 ई ब्लॉक मंगोलपुरी दिल्ली।
2. छगनलाल पुत्र घीसाराम जाति खटीक निवासी 507 ई ब्लॉक मंगोलपुरी दिल्ली।
3. मंगतू पुत्र गिर्राज जाति खटीक निवासी भदीरा तहसील नदबई
4. कज्जी पुत्र गिर्राज जाति खटीक निवासी भदीरा तहसील नदबई।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
6. प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नदबई।
7. प्रबंधक भारतीय स्टेटं बैंक शाखा नदबई।

प्रतिवादीगण

12/5/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:53:03 IST
Reason: SelfAttested

डिकरीन्द मुकदमों नदबई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 93/16
किस्म दावा 53,88,89,188 आर.टी.ए.
जीसीएमएस नंबर 2016/000149
निर्णय दिनांक 12.05.25

1. प्रेम पुत्री घीसी जाति खटीक निवासी भदीरा तहसील नदबई पत्नि पूरन हाल निवासी मंगोलपुरी गली नम्बर 12 दिल्ली।

वादिनी

बनाम

1. विमला देवी पत्नि छगनलाल जाति खटीक निवासी 507 ई ब्लॉक मंगोलपुरी दिल्ली।
2. छगनलाल पुत्र घीसाराम जाति खटीक निवासी 507 ई ब्लॉक मंगोलपुरी दिल्ली।
3. मंगतू पुत्र गिर्राज जाति खटीक निवासी भदीरा तहसील नदबई
4. कज्जी पुत्र गिर्राज जाति खटीक निवासी भदीरा तहसील नदबई।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
6. प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नदबई।
7. प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा नदबई।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री महेन्द्र सिंह मीना एड0(वादी)
श्री रघुवीर शरण गुप्ता एड0(प्रतिवादी)

निर्णय दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

1. यह कि विवादित हाल आराजी खसरा संख्या 1835 रकबा 0.33, 1898 रकबा 0.75, 3389 रकबा 0.49, 3390 रकबा 0.49, 3391 रकबा 0.47 किता 05 कुल रकबा 2.56 है0 के साबिक नम्बरान 1546 रकवा 1 बी. 19 वि. व 3005 रकवा 1 बीघा 19 विस्वा, व 3006 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई से बने है। जो कि जमाबंदी संवत 2066-71 खाता संख्या 135 व 136 से बखूबी सिद्व है।

2. यह है कि विवादित आराजी वादिनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की सम्मिलित सह खातेदारी की पूर्वजों की आराजी है जिस पर सभी पक्षकारान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 18:53:03 IST
Reason: SelfAttested

12/5/25

Scanned with OKEN Scanner

मनवट अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। यह आराजी गिर्राज पुत्र फौदी खटीक की खातेदारी की आराजी है।जिसके मरने के बाद उसके तीन पुत्रान क्रमशःघीसा, कज्जी, मंगतू विरासतन हकदारी हांसिल करते हुए इन्तकाल नम्बर 444 से ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा दिनांक 04.02.1983 को हक खातेदारी प्राप्त हुआ है। और तभी से सभी अपने अपने हिस्से अनुसार मनवट के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

3. यह है कि विवादित आराजी मद संख्या 2 वादपत्र में वर्णित है उस आराजी को दिनांक 26.05.2016 को प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा अपने पिता को बीमार होने के कारण जो वादिनी के साथ दिनांक 24.05.2016 तक रहा है। उसकी देखभाल व परवरिस सेवा व भरण पोषण वादिनी द्वारा ही किया जा रहा है। परन्तु अचानक तबियत खराब होने के कारण मैने भाई को सूचना दी। भाई पिता को मेरे घर से ईलाज कराने के बहाने अपनी पत्नि विमला देवी के साथ मेरे घर आया और पिताजी को सांयकाल करीबन4, 4:50बजे सफदरगंज हॉस्पीटल दिखाने के लिए कहते हुए ले आया। परन्तु भाई छगनलाल व भाभी ने छलकपट पूर्ण कार्यवाही के इरादे से दिनांक 26.05.2016 को उपपंजीयक नदबई के यहां आकर जरिये दानपत्र रजिस्टर्ड समस्त आराजी ग्राम भदीरा की अपने नाम करा ली । जब वादिनी पिता को देखने के लिए घर पहुंची और अस्पताल की जानकारी की तो वादिनी को सही जानकारी नहीं हो सकी ।परन्तु दिनांक 27.05.2016 को सफदरगंज अस्पताल दिल्ली में हार्ट अटैक की बीमारी से तबियत ज्यादा खराब होने के कारण एवं वृद्वावस्था होने के कारण भाई 800 किमी की यात्रा नदबई से दिल्ली व दिल्ली से नदबई दानपत्र कराने की साजिश से पिता की हालत ज्यादा बिगड गई। इसलिए वादिनी भाई के द्वारा किये गये छल कपट पूर्ण कृत्य की भनक पडने पर व भाई के बदले तेवर को भांपकर वादिनी को सम्पूर्ण वाकियात की जानकारी हुई। इसलिए प्रार्थिया वादिनी संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवा... दानपत्र को निष्प्रभावी एवं वातिल बेअसर ... तथा अपने मृतक पिता घीसा की आराजी ... के बजाय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

12/5/25

कानूनी बंटवारा कराते हुए अपना हिस्सा जरिये विभाजन खातेदारी की अधिकारिणी है।

अंत में प्रार्थना है कि वादपत्र वादिनी खिलाफ प्रतिवादीग निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे–

(अ). यह है कि विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 02 वादपत्र जो कि संयुक्त परिवार की सम्मिलित आराजी है। जिसमें वादिनी को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासतन हक तय करते हुए छलकपट पूर्ण की गई दान पत्र को वातिल व वेअसर निष्प्रभावी घोषित किया जावे तथा मनवट के बजाय कानूनी बंटवारा करते हुए अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी को दृष्टिगत रखते हुए करेंजात किये जावे।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 की ओर से श्री रघुवीर शरण गुप्ता एडवोकेट उपस्थित हुए एवं शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध तामील बाबजूद उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया जो सक्षिप्त में निम्न प्रकार है–

1. यह कि मद संख्या 02 दावा वादिनी में विवादित आराजी किता 05 रकवा 2.56 हैक्टे. वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई में स्वीकार होना हम प्रतिवादीगण को स्वीकार है तथा इस हाल आराजी के साबिक खसरा नम्बर कौन कौन से बने है। इस समय हक प्रतिवादीगण को जानकारी नहीं है। परन्तु यह नकल मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट हो जायेगा।
2. यह है कि मद संख्या 03 दावा वादिनी में से खसरा नम्बर 1898 रकवा 0.78 हैक्टे जिसका साबिक खसरा नम्बर 1591 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा है जो पूर्वजों की आराजी नहीं है। बल्कि घीसा व कज्जी की कय शुदा आराजी है। घीसा व कज्जी ने उक्त साबिक खसरा नम्बर 1591 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र प्रभू पुत्र रामहेत से कीमतन दिनांक 21.06.75 को खरीद किया है तथा इसकी खातेदारी घीसा, कज्जी के नाम चली आ रही है। इसके अलावा अन्य आराजी की आराजी थी। तथा उनकी मृत्यु के बाद घीसा, कज्जी के नाम खातेदारी की गई। परन्तु घीसा ने अपने जीवनकाल में अपना 1/3 हिस्सा जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:53:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रजिस्टर्ड दानपत्र तारिख 26.05.2016 को प्रतिवादी संख्या 01 के हक में तहरीर कर दिया एवं नामान्तरण संख्या 1634 तारिख 13.06.2016 से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खातेदारी अंकित की गई। जो आज तक बदस्तूर चली आ रही है। तथा घीसा ने अपने 1/2 हिस्से को भी जरिये रजि0 दानपत्र प्रतिवादी संख्या 01 के हक में तहरीर कर दिया जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 1634 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी दर्ज की गई जो आज तक बदस्तूर चली आ रही है। इस प्रकार से विवादित आराजी के खसरा नम्बर 1898 रकवा 0.78 पर प्रतिवादी संख्या 1, 1/2 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 04, 1/2 हिस्से पर खातेदार की हैसियत से काबिज चले आ रहे है तथा खसरा नम्बर 1835, 3389, 3390, 3391 किता 04 रकवा 1.78 पर प्रतिवादी संख्या 1, 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 04, 1/3 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 3, 1/3 हिस्से पर खातेदार की हैसियत से काबिज चले आ रहे है।

3. यह है कि वादपत्र वादिनी में सभी तथ्य वादिनी ने असत्य एवं मनगढन्त तहरीर किये है। जो हम प्रतिवादीगण को स्वीकार नहीं है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1898 का घीसा 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार था। यह आराजी उसकी स्वयं की खरीदशुदा आराजी है। जिसका 1/2 हिस्सा स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के तथा खसरा नम्बर 1835, 3389, 3390, 3391 किता 04 रकवा 1.78 का 1/3 हिस्से का घीसा खातेदार काश्तकार था जिसे अपना 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के मुझ प्रतिवादी संख्या 01 के हक में तहरीर किया हैं तथा वक्त दानपत्र ही प्रतिवादी ने उक्त आराजी पर कब्जा प्राप्त कर लिया है। तथा खातेदारी भी मुझ प्रतिवादनी के हक में हो रही है। वादिनी ने सभी तथ्य मनगढन्त एवं मुकदमे में रंगत देने की वजह से तहरीर किये है। जबकि मृतक घीसा वादिनी के पास कभी नहीं गया तथा न ही वादिनी ने मृतक घीसा की सेवा की। स्वयं मृतक घीसा ने सबरजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होकर स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के मुझ प्रतिवादिनी के हक में दानपत्र तस्दीक किया है। जिसे वादिनी प्रभावहीन घोषित करा पाने का अधिकार नहीं है। सेवा वादिनी काबिल खारिजी के है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

14/5/25

Scanned with OKEN Scanner

4. यह है कि विवादित आराजी में खसरा नम्बर 1898 रकवा 0.78 पर प्रतिवादी संख्या 1, 1/2 हिस्से पर तथा 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 4 खातेदारी की हैसियत से काबिज चले आ रहे है। तथा यह आराजी घीसा व कज्जी की खरीदशुदा आराजी है। इसके अलावा आराजी खसरा नम्बर 1835, 3389, 3390, 3391 किता 04 रकवा 1.78 पर प्रतिवादी संख्या 1 की 1/3 हिस्से पर, प्रतिवादी संख्या 04 की 1/3, तथा प्रतिवादी संख्या 03 की 1/3 हिस्से पर खातेदार की हैसियत से काबिज होकर चले आ रहे है।

5. यह है कि विवादित आराजी में से 1898 रकवा 0.78 के 1/2 हिस्से पर मृतक घीसा तथा आराजी खसरा नम्बर 1835, 3389, 3390, 3391 के 1/3 हिस्से पर मृतक घीसा खातेदार की हैसियत से खातेदार काबिज था। जिसने अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र मुझ प्रतिवादी के हक में तहरीर करा दिया है। तथा मुझ प्रतिवादिनी के हक में खातेदारी दर्ज हो रही है। जिसे वादिनी प्रभावहीन घोषित करा पाने की अधिकारी नहीं है।

6. यह है कि खसरा नम्बर 1898 रकवा 0.78 जिस पर मृतक घीसा 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार था यह उसकी खरीदशुदा आराजी है। जिसे घीसा का दानपत्र करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

7. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 1835, 3389, 3390, 3391 किता 04 रकवा 1.78 पर मृतक घीसा 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार था। जिसने अपने जीवनकाल में जरिये रजि. दानपत्र मुझ प्रतिवादी के हक में तहरीर करा दिया जो कर्ता खानदान था उक्त दानपत्र को प्रभावहीन या कैंसिल करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है, न्यायालय श्रीमान को नहीं है। जबाव दावा स्वीकार कर दावा खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करे।

वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा निम्नांकित तनकीयात कायम की गई

1–आया वादी विवादित आरा[illegible] संख्या 02 लगायत 4 की सम्मिलित आराजी है [illegible] जिम्मे वादी

2–आया वादी विवादित आरा[illegible] 1835, 3389, 3390, 3391 पर प्रतिवादी संख्या 01 की 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 04 की 1/3

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 03 की 1/3 हिस्से पर खातेदार की हैसियत से काबिज होकर चले आ रहे है। — जिम्मे वादी

3— आया विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 1898 रकबा 0.78 जिसका साबिक खसरा नम्बर 1091 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा है । जो पूर्वजों की आराजी नहीं है। जबकि क्रय शुदा आराजी है। — जिम्मे प्रतिवादी

4—आया वादी विवादित आराजी के खसरा नम्बर 1835, 3389, 3390, 3391 पर मृतक घीसा 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज था। जिसने अपने जीवनकाल में रजिस्टर्ड दानपत्र मेरे हक में कर दिया । जो कर्ता खानदान था उक्त दानपत्र को प्रभावहीन व कैन्सिल करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है। — जिम्मे प्रतिवादी

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में हाल जमाबंदी खाता संख्या 135, 136 वाके ग्राम भदीरा, नकल दान पत्र विरासत नम्बर 444, नकल दानपत्र रजिस्टर्ड दिनांक 26.05.2016, नकल मिलान क्षेत्रफ़ल संख्या 2060 वाके ग्राम भदीरा, नकल प्रमाण—पत्र वारिसान ग्राम पंचायत भदीरा मृतक घीसा पुत्र गिर्राज खटीक, भदीरा नकल जमाबंदी संवत 2038—2042, नकल दाखिला खारिज एवं वादी वकील की ओर से साक्ष्यवादी शपथ—पत्र पी.ड्ब्ल्यू. 1 व पी.ड्ब्ल्यू. 02 मौखिक साक्ष्य पेश किये गये। जिरह प्रतिवादी वकील द्वारा की गई। तत्पश्चात पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाव के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2069—72, फोटोप्रति रजि. दानपत्र दिनांक 26.05.2016, मृत्यु प्रमाण पत्र घीसाराम दिनांक 25.06.2016 एवं प्रतिवादी वकील की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी शपथ—पत्र डी. ड्ब्ल्यू. 01 मौखिक साक्ष्य पेश किये गये। जिरह वादी वकील द्वारा की गई। तत्पश्चात् पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

वादी अधिवक्ता के बहस दौरान कथन [illegible] विवादित हाल आराजी खसरा संख्या 1835 रकबा 0.33, 1898 रकबा 0.75, 3389 [illegible] 0.49, 3390 रकबा 0. 49, 3391 रकबा 0.47 किता 05 कुल रकबा 2.56 है0 के साबिक नम्बरान 1546 रकवा 1 बी. 19 वि. व 3005 रकवा 1 बीघा 19 विस्वा, व 3006 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

12/5/25

Scanned with OKEN Scanner

के ग्राम भदीरा तहसील नदबई से बने है। विवादित आराजी वादिनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी की आराजी है। जिस पर काश्तकार मनवट से काश्त कर रहे है। हाल विवादित आराजी खसरा नम्बर 1898 रकवा 0.75 हैक्टे जरिये रजिस्टर्ड वयनामा घीसा व कज्जी ने कय किया था । शेष आराजी घीसा एवं प्रतिवादी संख्या 03 व 04 को उनके पिता गिर्राज से विरासत में मिली। उक्त विवादित आराजीयात पैतृक आराजी है, जिसे विना विभाजन प्रतिवादी संख्या 01 ने घीसा से सम्पूर्ण आराजी का दानपत्र अपने नाम करवा लिया । उसके कुछ दिन बाद ही घीसा की मृत्यु हो गई। घीसा हस्ताक्षर करता था, लेकिन अंगुठा निशानी लगवाई गई। दिनांक 22.06.2015 को घीसाराम ने अपने पुत्र के खिलाफ मंगोलपुरी थाना में एक परिवाद पेश किया था एवं दानगृहिता ने स्वयं माना है कि दानवाले दिन घीसाराम बीमार था। विमला ने बयानों में तीन वारिस माने है एवं मौके पर पजेशन भी नहीं है।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बहस सुनी गई। प्रतिवादी वकील के कथन रहे कि वादिनी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में न तो दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये है औन न ही मौखिक साक्ष्य पेश किये गये है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1898 रकवा 0.78 हैक्टे जिसका साबिक खसरा नम्बर 1591 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा है जो पूर्वजों की आराजी नहीं है। बल्कि घीसा व कज्जी की कय शुदा आरांजी है। घीसा व कज्जी ने उक्त साबिक खसरा नम्बर 1591 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र प्रभू पुत्र रामहेत से कीमतन दिनांक 21.06.75 को खरीद किया है। यह स्व अर्जित आराजी है। विवादित हाल आराजी खसरा संख्या 1835 रकबा 0.33, 1898 रकबा 0.75, 3389 रकबा 0.49, 3390 रकबा 0.49, 3391 रकबा 0.47 किता 05 कुल रकबा 2.56 है0 को कर्ता खानदान ने दानपत्र कर दिया एवं दिनांक 26.05.2016 को कब्जा प्राप्त कर लिया। दानपत्र को खारिज करवाये बिना इनको हक नहीं मिल सकता। राजस्व न्यायालय दानपत्र को खारिज नहीं कर सकते । रजिस्टर्ड दस्तावेज को कैंसिल करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। साक्ष्य अधिनियम 79 के तहत् रजिस्टर्ड दस्तावेज वैध माना जायेगा जब तक कोई दानपत्र छल कपट पूर्ण दान करवाया गया है तो उसे सुनने का अधिकार भी सिविल कोर्ट को है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

14/5/25

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस अन्तिम सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। निर्णय तनकीवार विवेचन इस प्रकार है।

1–आया वादी विवादित आराजी वादिनी व प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 4 की सम्मिलित आराजी है – उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का था। विवादित हाल आराजी खसरा संख्या 1835 रकबा 0.33, 3389 रकबा 0.49, 3390 रकबा 0.49, 3391 रकबा 0.47 वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई में स्थित है। जो कि जमाबंदी संवत 2069–72 खाता संख्या 135 व 136 से बखूवी सिद्व है। विवादित आराजी वादिनी व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 की सम्मिलित सह खातेदारी की पूर्वजों की आराजी है जिस पर सभी पक्षकारान मनवट अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। यह आराजी गिर्राज पुत्र फौदी खटीक की खातेदारी की आराजी है। जिसके मरने के बाद उसके तीन पुत्रान क्रमशः घीसा, कज्जी, मंगतू विरासतन हकदारी हांसिल करते हुए इम्तकाल नम्बर 444 से ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा दिनांक 04.02.1983 को हक खातेदारी प्राप्त हुआ है। और तभी से सभी अपने अपने हिस्से अनुसार मनवट के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अतः उक्त तनकी वादी के हक में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

2–आया वादी विवादित आराजी के खसरा नम्बर 1835, 3389, 3390, 3391 पर प्रतिवादी संख्या 01 की 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 04 की 1/3 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 03 की 1/3 हिस्से पर खातेदार की हैसियत से काबिज होकर चले आ रहे है। – उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। आराजी खसरा नम्बर 1835, 3389, 3390, 3391 किता 04 रकवा 1.78 पर मृतक घीसा 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार था एवं प्रतिवादी संख्या 03 मंगतू एवं प्रतिवादी संख्या 04 कज्जी भी क्रमशः 1/3 व 1/3 हिस्से पर खातेदार काश्तकार रहे है। उक्त आराजी घीसा, मंगतू एवं कज्जी को अपने पिता गिर्राज से विरासतन प्राप्त हुई है। घीसा ने अपने 1/3 हिस्से का रजि. दानपत्र प्रतिवादी सं0 01 विमला देवी पत्नि [illegible] के हक में तहरीर करा दिया। और तभी से सभी अपने अपने हिस्से अनुसार मनवट के मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अतः उक्त तनकी वादीगण के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

3– आया विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 1898 रकवा 0.78 जिसका साबिक खसरा नम्बर 1091 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा है । जो पूर्वजों की आराजी नहीं है। जबकि क्रय शुदा आराजी है। – उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। दावा वादिनी में से खसरा नम्बर 1898 रकवा 0.78 हैक्टे जिसका साबिक खसरा नम्बर 1591 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा है जो पूर्वजों की आराजी नहीं है। बल्कि घीसा व कज्जी की क्रय शुदा आराजी है। घीसा व कज्जी ने उक्त साबिक खसरा नम्बर 1591 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रभू पुत्र रामहेत से कीमतन दिनांक 21.06.75 को खरीद किया है। जो प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श–7 पर अंकित किया गया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

4–आया वादी विवादित आराजी के खसरा नम्बर 1835, 3389, 3390, 3391 पर मृतक घीसा 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज था। जिसने अपने जीवनकाल में रजिस्टर्ड दानपत्र मेरे हक में कर दिया । जो कर्ता खानदान था उक्त दानपत्र को प्रभावहीन व कैन्सिल करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है। – उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। आराजी खसरा नम्बर 1835, 3389, 3390, 3391 के 1/3 हिस्से पर मृतक घीसा खातेदार की हैसियत से खातेदार काबिज था। जिसने अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र प्रतिवादी संख्या 01 विमला पत्नि छगनलाल के हक में तहरीर करा दिया है। मृतक घीसा द्वारा कर्ता खानदान होने की हैसियत से उक्त दानपत्र प्रतिवादी संख्या 01 के हक में कराया गया है। जिसका उसे पूर्ण अधिकार था। जिसे वादिनी प्रभावहीन घोषित करा पाने की अधिकारी नहीं है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के हक में तथा वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय, विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विवादित हाल आराजी खसरा संख्या 1835 रकबा 0.33, 1898 रकबा 0.75, 3389 रकबा 0.49, 3390

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

0.49, 3391 रकबा 0.47 किता 05 कुल रकबा 2.56 है0 के साबिक नम्बरान 1546 वा 1 बी. 19 वि. व 3005 रकवा 1 बीघा 19 बिस्वा, व 3006 रकवा 1 बीघा 17 स्वा वाके ग्राम भदीरा तहसील नदवई से बने है। उक्त विवादित आराजी में आराजी खसरा नम्बर 1835, 3389, 3390, 3391 किता 04 रकवा 1.78 पर मृतक घीसा 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार था। जिसने अपने जीवनकाल में जरिये रजि. दानपत्र प्रतिवादी संख्या 01 विमला देवी पत्नि छगनलाल के हक में तहरीर करा दिया, विवादित आराजी वादिनी व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 की सम्मिलित सह खातेदारी की पूर्वजों की आराजी है जिस पर सभी पक्षकारान मनवट अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। यह आराजी गिर्राज पुत्र फौदी खटीक की खातेदारी की आराजी है। जिसके मरने के बाद उसके तीन पुत्रान कमशः घीसा, कज्जी, मंगतू विरासतन हकदारी हांसिल करते हुए इम्तकाल नम्बर 444 से ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा दिनांक 04.02.1983 को हक खातेदारी प्राप्त हुआ है। और तभी से सभी अपने अपने हिस्से अनुसार मनवट के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादिनी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से यह माना है कि मृतक घीसा के एक पुत्र एवं दो पुत्री रही है। जिनमें से एक पुत्री की फौत हो चुकी है, उसके एक जीवित है तथा दूसरी पुत्री वादिनी संख्या 01 प्रेम है एवं पुत्र प्रतिवादी संख्या 02 है। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उक्त विवादित आराजीयात में प्रत्येक वारिसान का हिस्सा निहित है। उक्त विवादित आराजी में खसरा नम्बर 1898 रकवा 0.78 हैक्टे जिसका साबिक खसरा नम्बर 1591 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा है जो पूर्वजों की आराजी नहीं है। बल्कि घीसा व कज्जी की कय शुदा आराजी है। घीसा व कज्जी ने उक्त साबिक खसरा नम्बर 1591 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र प्रभू पुत्र रामहेत से कीमतन दिनांक 21.06.75 को खरीद किया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वारिसान को पैतृक आराजी में खातेदार अधिकार जन्म से निहित हो जाते है। इसलिए वारिसान को खातेदार अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः विवादित आराजी खसरा नम्बर अतः विवादित आराजी में आराजी खसरा नम्बर 1835, 3389, 3390, 3391 किता 04 रकवा 1.78 वाके ग्राम [illegible] तहसील नदबई के वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया [illegible] वादिनी प्रेम [illegible] 1/4 हिस्से पर खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

14/5/25

Scanned with OKEN Scanner

कार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार य है।

::आदेश::

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर अतः विवादित आराजी में आराजी खसरा नम्बर 1835, 3389, 3390, 3391 किता 04 रकवा 1.78 वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई पर वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादिनी को 1/4 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.05.25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

12/5/25

(गंगाधर मीणा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner